

413/25

17-10-25
ग्रामीण सेवा शिविर 2025

71
26.09.2025

2025/471

पत्र-8

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवा में,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, भांडल

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम बागौर II की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 379 में मेरा नाम बाबू पुत्र बालु नाई जबकि सही नाम बाबू लाल पुत्र बालुराम नाई अथवा बाबू लाल पुत्र बालुराम अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

बाबू लाल पुत्र बालुराम

दिनांक:- 26.9.25

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम बागौर II के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 के खाता संख्या 379 में प्रार्थी का नाम बाबू लाल पुत्र बालुराम दर्ज है। जबकि मुताबिक सलगन व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम बाबू लाल पुत्र बालुराम अथवा बाबू लाल पुत्र बालुराम अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

पटवारी 26.9.25
बागौर II

भू0अ0नि0

रिपोर्ट तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी बागौर II व भू0अ0नि0 बागौर II एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम बागौर II की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 की खाता संख्या 379 में प्रार्थी का नाम बाबू पुत्र बालु नाई के वजाय बाबू लाल पुत्र बालुराम किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

26/9/25
तहसीलदार
मंडल जिला भिलवाड़ा

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार भांडल ग्राम बागौर जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 खाता संख्या 379 में दर्ज प्रार्थी का नाम बाबू पुत्र बालु नाई के स्थान पर बाबू लाल पुत्र बालुराम शोधन के आदेश दिये जाते हैं।

भांडल
उपखण्ड अधिकारी
मंडल जिला भिलवाड़ा